कोल्हापूर जिल्हा न्यायालयीन चतुर्थ
श्रेणी कर्मचारी संघटना, कोल्हापूर
[औद्योगिकेतर]

शासन मान्यता देण्याबाबत.

महाराष्ट्र शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग,
शासन निर्णय क्र. - आरजीए-१०९३/सीआर-३८/९३/१७-अ,
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२.
दिनांक : 20-७-१९९३.

पहा - १] प्रबंधक, उच्च न्यायालय [अपील शाखा], मुंबई यांचे पत्र
क्र. बी २३११/९२, दि. २६/४/९१.
२] जिल्हा व सत्र न्यायालय, कोल्हापूर यांचे पत्र क्र.
प्रशासन/२१०२/१९९३, दि. २२. ३. ९३.

शासन निर्णय : महाराष्ट्र नागरी सेवा [वर्तणूक] नियम १९७९ मधील नियम २९ च्या अधीन राहून "कोल्हापूर जिल्हा न्यायालयीन चतुर्थश्रेणी कर्मचारी संघटना", कोल्हापूर ह्या शासकीय [औद्योगिकेतर] कर्मचाऱ्यांच्या संघटनेस शासन मान्यता देण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

[स्वाक्षरी]
[अ. रा. साळवी]
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन.

प्रत,
x १. प्रबंधक, उच्च न्यायालय [अपील शाखा], मुंबई [२ प्रती]
२. जिल्हा व सत्र न्यायालय, कोल्हापूर [२ प्रती]
३. अध्यक्ष, कोल्हापूर जिल्हा न्यायालयीन चतुर्थश्रेणी कर्मचारी संघटना, जिल्हा न्यायालय, कोल्हापूर [२ प्रती],
४. विधी व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२ [२ प्रती],
५. सर्व मंत्रालयीन विभाग,
६. संबंधित सहाय्यक,
७. निवड नस्ती [२ प्रती].

टिप :- "x" पत्राने.